—:: कार्यवाही विवरण ::—

M/s Chhattisgarh Steel & Power Limited द्वारा Village-Amjhar, Tehsil-Champa, District-Janjgir-Champa (C.G.) में Expansion of Steel Plant-consists of Upgradation of existing Ferro Alloy Unit from 2x16.5 MVA to 2x18 MVA (to produce FeSi-28,000 TPA /FeMn-60,000 TPA/SiMn-54,000 TPA/FeCr-54,000TPA/Pig Iron-60,000TPA) FBC Power Plant from 30 MW to 60 MW & proposed Ferro Alloy unit 2x9 MVA & 2x18 MVA (FeSi-42,000 TPA/FeMn-1,20,000 TPA/SiMn-84000 TPA/FeCr-84000 TPA/Pig Iron-1,20,000), DRI Kilns of 2x350 TPD (2,31,000 TPA of Sponge Iron), Sinter Plant of 1x100 TPD (33,000 TPA of Sinters), Induction Furnaces of 4x15 MT (1,98,000 TPA of Hot Billets/MS billets), Rolling mill of 2x270 TPD (1,78,200 TPA of Rolled products/TMT bars/Structural Steel), jigging plant of 4x10 TPH, WHRB Power Plant of 2x10 MW, Solar Power Plant of 4.0 MW, AOD Converter of 1x18 MT, Briquetting uint of 1x100 TPD, Fly Ash Bricks Manufacturing unit of 50,000 Bricks/day के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अतिरिक्त कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला—जांजगीर—चांपा (छ.ग.) की अध्यक्षता में **दिनांक 20/08/2025 को समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान—श्री दिनेश उरांव पिता मनीराम उरांव के ग्राम—उच्चभिट्ठी तहसील—चांपा में स्थित भूमि खसरा नं. 199/4, रकबा—0.061 हेक्टेयर** में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :—

भारत शासन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की, ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् M/s Chhattisgarh Steel & Power Limited द्वारा Village-Amjhar, Tehsil-Champa, District-Janjgir-Champa (C.G.) में Expansion of Steel Plant-consists of Upgradation of existing Ferro Alloy Unit from 2x16.5 MVA to 2x18 MVA (to produce FeSi-28,000 TPA /FeMn-60,000 TPA/SiMn-54,000 TPA/FeCr-54,000TPA/Pig Iron-60,000TPA) FBC Power Plant from 30 MW to 60 MW & proposed Ferro Alloy unit 2x9 MVA & 2x18 MVA (FeSi-42,000 TPA/FeMn-1,20,000 TPA/SiMn-84000 TPA/FeCr-84000 TPA/Pig Iron-1,20,000), DRI Kilns of 2x350 TPD (2,31,000 TPA of Sponge Iron), Sinter Plant of 1x100 TPD (33,000 TPA of Sinters), Induction Furnaces of 4x15 MT (1,98,000 TPA of Hot Billets/MS billets), Rolling mill of 2x270 TPD (1,78,200 TPA of Rolled products/TMT bars/Structural Steel), jigging plant of 4x10 TPH, WHRB Power Plant of 2x10 MW, Solar Power Plant of 4.0 MW, AOD Converter of 1x18 MT, Briquetting uint of 1x100 TPD, Fly Ash Bricks Manufacturing unit of 50,000 Bricks/day के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में अपने पत्र दिनांक 28/08/2024 प्राप्ति दिनांक 03/09/2024 के माध्यम से आवेदन किया गया।

उक्त परियोजना हेतु लोक सुनवाई **दिनांक 20/08/2025 को समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–श्री दिनेश उरांव पिता मनीराम उरांव के ग्राम–उच्चभिट्ठी तहसील–चांपा में स्थित भूमि खसरा नं. 199/4, रकबा–0.061 हेक्टेयर** में नियत की गई, जिसकी सूचना **स्थानीय समाचार पत्र नवभारत, बिलासपुर में दिनांक 18/07/2025 तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र बिजनेस स्टैण्डर्ड, नई दिल्ली के मुख्य संस्करण में दिनांक 18/07/2025 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी।**

परियोजना की लोकसुनवाई की सूचना के साथ ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी में) एवं इसकी सी.डी. (साफ्ट कापी) जन सामान्य के अवलोकन/पठन हेतु कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यालय, जिला पंचायत जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा, अनुविभागीय अधिकारी (रा0), कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा, महाप्रबंधक, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यालय, जनपद पंचायत बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यालय, जनपद पंचायत करतला, जिला–कोरबा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद–चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर, **सरपंच/सचिव कार्यालय ग्राम पंचायत अमझर, उच्चभिट्ठी, महुदा, सिवनी, कुर्दा, बालपुर, जनपद पंचायत–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.), सरपंच/सचिव कार्यालय ग्राम पंचायत फारसवानी, देवलापथ, खरवानी, जमनीपाली, उपमरेली, कोठारी, जनपद पंचायत–करतला, जिला–कोरबा (छ.ग.),** डायरेक्टर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली, क्षेत्रीय निदेशक, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर – 19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) में रखी गई थी। प्रस्तावित परियोजना के संबंध में आपत्ति/सुझाव/टीका–टिप्पणियां सूचना प्रकाशन जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। इस दौरान लोक सुनवाई के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां/आपत्तियों के संबंध में इस कार्यालय को कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ हैं।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि **दिनांक 20/08/2025 को समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–श्री दिनेश उरांव पिता मनीराम उरांव के ग्राम–उच्चभिट्ठी तहसील–चांपा में स्थित भूमि खसरा नं. 199/4, रकबा–**0.061 में आयोजित की गई। लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित समय पर आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री ज्ञानेंद्र सिंह ठाकुर, अतिरिक्त कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रकिया के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से उद्योग प्रतिनिधि श्री दिलीप कुमार प्रजापति महाप्रबंधक, मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, के द्वारा M/s Chhattisgarh Steel & Power Limited, Village-Amjhar, Tehsil-Champa, District-Janjgir-Champa (C.G.) में Expansion of Steel Plant-consists of Upgradation of existing Ferro Alloy Unit from 2x16.5 MVA to 2x18 MVA (to produce Fesi-28,000 TPA /FeMn-60,000 TPA/SiMn-54,000 TPA/FeCr-54,000TPA/Pig Iron-60,000TPA) FBC Power Plant from 30 MW to 60 MW & proposed Ferro Alloy unit 2x9 MVA & 2x18 MVA (FeSi-42,000 TPA/FeMn-1,20,000 TPA/SiMn-84000 TPA/FeCr-84000 TPA/Pig Iron-1,20,000), DRI Kilns of 2x350 TPD (2,31,000 TPA of Sponge Iron), Sinter Plant of 1x100 TPD (33,000 TPA of Sinters), Induction Furnaces of 4x15 MT (1,98,000 TPA of Hot Billets/MS billets), Rolling mill of 2x270 TPD (1,78,200 TPA of Rolled products/TMT bars/Structural Steel), jigging plant of 4x10 TPH, WHRB Power Plant of 2x10 MW, Solar Power Plant of 4.0 MW, AOD Converter of 1x18 MT, Briquetting uint of 1x100 TPD, Fly Ash Bricks Manufacturing unit of 50,000 Bricks/day के परियोजना के संबंध में विस्तृत जानकारी से जनसामान्य को अवगत कराया गया।

तत्पश्चात् अतिरिक्त कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों द्वारा मौखिक एवं लिखित रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री राम कुमार गोंड़, ग्राम–महुदा** :– मैं ग्राम–महुदा से आया हूॅ। मैं सी.एस.पी.एल. प्लांट, अमझर का समर्थन करता हूॅ।
2. **श्री हिदेर कुमार देवांगन, ग्राम–सिवनी** :– छ.ग. स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड के प्रस्ताव का समर्थन करता हूॅ।

3. **श्री सूरज कुमार, ग्राम–सिवनी** :– मैं सी.एस.पी.एल. प्लांट अमझर का समर्थन करता हूॅं।

4. **श्री विरेन्द्र कुमार, ग्राम–महुदा** :– मैं प्लांट विस्तार का समर्थन करता हूॅं।

5. **श्री मनीष गोपाल, ग्राम–चांपा** :– मैं इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅं।

6. **श्री जेठूराम गोड़, ग्राम–सवरिया** :– मैं सी.एस.पी.एल. पॉवर प्लांट से आया हूॅं।

7. **श्री विजय कुमार गोंड़, ग्राम–महुदा** :– मैं सी.एस.पी.एल. प्लांट से आया हूॅं। मैं सी.एस.पी.एल. प्लांट का समर्थन करता हूॅं।

8. **श्री नारद, ग्राम–महुदा** :– प्लांट को समर्थन करता हूॅं।

9. **श्री रोहित जायसवाल, ग्राम–महुदा (च.)** :– मैं इस जन सुनवाई का बिल्कुल समर्थन करता हूॅं।

10. **श्री चिंताराम गोंड़, ग्राम–महुदा** :– प्लांट का मैं समर्थन करता हूॅं।

11. **श्री नंदलाल यादव, ग्राम–महुदा** :– इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅं।

12. **श्री राजेश साहू, ग्राम–हथनेवरा** :– मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅं।

13. **श्री मिथलेश मिश्रा, ग्राम–चांपा** :– मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅं।

14. **श्री मोहित राम बरेठ, ग्राम महुदा** :– इस प्लांट के खुलने का समर्थन करता हूॅं।

15. **श्री अशोक कुमार साहू, ग्राम–चांपा** :– मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅं।

16. **श्री आशुतोष कुमार, ग्राम–चांपा** :– जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅं।

17. **श्री विजय कुर्रे, ग्राम–सराईपाली** :– मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅं।

18. **श्री संतोष देवांगन, ग्राम–चांपा** :– छत्तीसगढ़ स्टील प्लांट का समर्थन करता हूॅ।

19. **श्री संतोष कुमार साहू, ग्राम–परसवानी** :–समर्थन है इसको।

20. **श्री नरेश कुमार, ग्राम–परसवानी** :– अमझर प्लांट को समर्थन करता हूॅ।

21. **श्री डकेश्वर प्रसाद पटेल, ग्राम–अमझर** :– जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅ।

22. **श्री गोरेलाल श्रीवास, ग्राम–महुदा** :– जन सुनवाई का मैं समर्थन करता हूॅ।

23. **श्री प्रेमसागर माथुर, ग्राम–कुरदा** :– सी.एस.पी.एल. प्रोजेक्ट के एक्सपॉशन का मैं समर्थन करता हूॅ।

24. **श्री अमरलाल सोनी, ग्राम–सराईपाली** :– मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅ।

25. **श्री चंद्र कुमार पटेल, ग्राम–अमझर** :– इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅ।

26. **श्री सुभाष कुमार केसरिया, ग्राम–झिगा** :– इस स्टील प्रोजेक्ट का समर्थन करता हूॅ।

27. **श्री सुनिल बरेठ, ग्राम–महुदा** :– समर्थन करता हूॅ।

28. **श्री अशोक जायसवाल, ग्राम–महुदा** :– मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅ।

29. **श्री राजेश कुमार कश्यप, ग्राम–महुदा** :– मैं समर्थन करता हूॅ।

30. **श्री कन्हैया लाल, ग्राम–अमझर** :– मैं समर्थन कर रहा हूॅ।

31. **श्री उमाकांत जगत** :– जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅ।

32. **श्री बंशीलाल बरेठ, ग्राम–जांजगीर** :– जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅ।

33. **श्री अमित कुमार, ग्राम–परसवानी, जिला–कोरबा** :– जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅ।

34. **श्री पुरूषोत्तम, ग्राम–महुदा** :– जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅ।

35. **श्री संतोष कुमार** :– जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅ।

36. **श्री देवजग केंवट, ग्राम–अमझर** :– मैं इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅ।

37. **श्री रोहित लाल पटेल, ग्राम–अमझर** :– इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅ।

38. **श्री आर्य जायसवाल, ग्राम–सक्ती** :– आज की जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅ।

39. **श्री पुन्नूलाल बरेठ, ग्राम–महुदा** :– इस प्रोजेक्ट का समर्थन करता हूॅ।

40. **श्री अनिल यादव, ग्राम–जांजगीर** :– इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅ।

41. **श्री कमल प्रसाद साहू, ग्राम–महुदा** :– इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅ।

42. **श्री कृष्ण कुमार जायसवाल, ग्राम–महुदा** :– इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅ।

43. **श्रीमती शीतल बाई केंवट, ग्राम–परसवानी** :– प्लांट का समर्थन करती हूॅ।

44. **श्री विजय कुमार पटेल, ग्राम–मड़वारानी** :– इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅ।

45. **श्रीमती मानबाई केंवट, ग्राम–परसवानी** :– जन सुनवाई का समर्थन करती हूॅ।

46. **श्री गीता प्रसाद पटेल, ग्राम–अमझर** :– सी.एस.पी.एल. प्लांट बहुत ही सुंदर है। आज हमारे क्षेत्र में संजय जी के द्वारा ये प्लांट संचालित किया जा रहा है उसमें हमारे आस–पास के नागरिकों को रोजगार के अवसर दिये गये है और अभी हमारे सी.एस.पी.एल. का जो मालिक है माननीय श्री अजय सर वे इस प्लांट को आगे बढ़ायें। हमारे आस–पास के जितने भी लोग है उनके रोजी–रोटी की व्यवस्था करनें

का संकल्प हमारे साथ लिये है, इसके लिए मैं बहुत अभारी हूॅ। इस सी.एस.पी.एल. प्लांट को आगे बढ़ने के लिए मैं इसको अपनी सहमति दे रहा हूॅ।

47. **श्री महेश सोनी, ग्राम–चांपा** :– मैं इस प्लांट के विस्तार के लिए समर्थन देता हूॅ।

48. **श्री राजेन्द्र कुमार, ग्राम–परसवानी** :– मैं सहमति देता हूॅ।

49. **श्री गणेश राम यादव, ग्राम–उच्चभिट्ठी** :– मैं सी.एस.पी.एल. प्लांट को आगे बढ़ने का समर्थन देता हूॅ।

50. **श्रीमती सुनीता गोंड़, ग्राम–महुदा** :– स्टील प्लांट प्रारंभ होना चाहिए, फैरो प्लांट।

51. **श्रीमती कुंती गोंड़, ग्राम–महुदा** :– स्टील प्लांट प्रारंभ होना चाहिए।

52. **श्रीमती सुकवारा, ग्राम–महुदा** :– स्टील प्लांट प्रारंभ होना चाहिए।

53. **श्रीमती संजू, ग्राम–सुकरिया डेरा** :– स्टील प्लांट खुलना चाहिए।

54. **श्रीमती रानी, ग्राम–सुकरिया डेरा** :– मैं प्लांट को समर्थन करती हूॅ।

55. **श्री सरोज कुमार गोंड़, ग्राम–महुदा** :–मैं अमझर प्लांट में काम करता हूॅ। मैं अमझर प्लांट का समर्थन करता हूॅ।

56. **श्री सुरेश कुमार गोंड़, ग्राम–महुदा** :– मैं सी.एस.पी.एल. प्लांट का समर्थन करता हूॅ।

57. **श्री रामू गोंड़, ग्राम–सुकरिया डेरा** :– मैं अमझर प्लांट का समर्थन करता हूॅ।

58. **श्री ईतवारी कुमार गोंड़, ग्राम–अमझर** :– मैं अमझर स्टील प्लांट में काम करता हूॅ। अमझर प्लांट का समर्थन करता हूॅ।

59. **श्री सरोज कुमार यादव, ग्राम–उच्चभिट्ठी** :– प्लांट के विस्तार का मैं समर्थन करता हूॅ।

60. **श्री हलदर पटेल, ग्राम–अमझर** :– मैं सी.एस.पी.एल. प्लांट का समर्थन करता हूॅं।

61. **श्री धीरज कुमार, ग्राम–अमझर** :– मैं प्लांट को समर्थन करता हूॅं।

62. **श्री रोहित कुमार, ग्राम–उच्चभिट्ठी** :– मैं समर्थन करता हूॅं।

63. **श्री विष्णु लहरे, ग्राम–कुरदा** :– प्लांट के विस्तार का समर्थन करता हूॅं।

64. **श्री राम कुमार यादव, ग्राम–उच्चभिट्ठी** :– सी.एस.पी.एल. को मैं समर्थन करता हूॅं।

65. **कु0 भारती टंडन, ग्राम–** :– मैं इस जन सुनवाई का समर्थन करती हूॅं।

66. **कु0 साधना रात्रे, ग्राम–चांपा** :– स्टील प्लांट को समर्थन करती हूॅं।

67. **श्रीमती लक्ष्मीन बाई गोंड़, ग्राम–महुदा** :– समर्थन करती हूॅं।

68. **श्रीमती सत्यम** :– समर्थन करती हूॅं।

69. **श्रीमती कुंती बाई गोंड़, ग्राम–महुदा** :– समर्थन करती हूॅं।

70. **श्रीमती नामा0** :– स्टील प्लांट लगना चाही।

71. **श्रीमती नामा0** :– स्टील प्लांट का समर्थन करती हूॅं।

72. **श्रीमती नामा0** :– स्टील प्लांट से सहमत हूॅं।

73. **श्रीमती सोनवानी** :– समर्थन करती हूॅं।

74. **श्रीमती द्रोपती बाई** :– समर्थन करती हूॅं।

75. **श्रीमती मीना पटेल, ग्राम–अमझर** :– प्लांट को समर्थन करती हूॅं।

76. **श्रीमती सुनीता पटेल, ग्राम–अमझर** :– प्लांट को समर्थन करती हूॅं।

77. **श्रीमती समरीद पटेल** :— प्लांट को समर्थन करती हूँ।

78. **श्रीमती ललिता पटेल** :— स्टील प्लांट को समर्थन करती हूँ।

79. **श्री अयोध्या राठौर, ग्राम—कसौनी** :— मैं समर्थन करता हूँ।

80. **श्री नरेन्द्र कुमार, ग्राम—सलखन** :— स्टील प्लांट का समर्थन करता हूँ। ग्राम पंचायत—देवरपाठ के आस—पास गांव के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।

81. **श्री किरन राठौर, ग्राम—परसवानी** :— इस प्लांट का समर्थन करता हूँ और जितने भी बेरोजगार है आस—पास के क्षेत्र में उनको नौकरी दिलाने की मांग है।

82. **श्री प्यारेलाल यादव** :— मैं इस प्लांट के विस्तार के लिए आपत्ति करता हूँ। ये लोग क्या जानेंगे? मेरा जमीन गया है। अभी सभी अधिकारी आये है पूछेंगे तो पेपर दे सकता हूँ। सन् 2013 में मेरा जमीन लिया गया है 26 डिसमिल, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का जमीन भी ले लिये और नौकरी नहीं दिये। मनोज को बुलाईये उससे मेरा बात हुआ था। वो दूसरे गांव का सरपंच है मेरे गांव में क्या करेगा? नौकरी दिया जायेगा ऐसा बोल रहा है। कोई अधिकारी पेपर देखेंगे। एस.डी.एम. साहब, तहसीलदार साहब, निराकरण होना चाहिए साहब। निराकरण होना चाहिए तभी जनसुनवाई का महत्व होता है।

83. **श्री अर्जुन कुमार यादव, ग्राम—उच्चभिट्ठी** :— प्लांट का समर्थन करता हूँ।

84. **श्री बंशीलाल गोंड़, ग्राम—महुदा** :— मैं प्लांट का समर्थन करता हूँ।

85. **श्री गुलजार सिंह पटेल, ग्राम—गुडघर** :— सी.एस.पी.एल. प्लांट को समर्थन करता हूँ।

86. **श्री उमेश्वर सिंह सिदार,** :— प्लांट का समर्थन करता हूँ।

87. **श्रीमती रामायण बाई पटेल, ग्राम—अमझर** :— स्टील प्लांट को समर्थन करती हूँ।

88. श्रीमती अनुसुईया पटेल, ग्राम–अमझर :– मैं सी.एस.पी.एल. प्लांट को समर्थन करती हूँ।

89. श्री संतोष केंवट, ग्राम–उच्चभिट्ठी :– मैं प्लांट के लिए आपत्ति दर्ज करता हूँ। रोजगार नहीं देवत हे प्लांट वाला ह, का ये प्लांट चलावत हे? आपत्ति दर्ज हे मोर।

90. श्री शैलेन्द्र कुमार, ग्राम–उच्चभिट्ठी :– मैं इस प्लांट का समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे गांव में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराया है। इस प्लांट को चलते 20 साल हो गया है। ग्राम में आज तक एक भी सुविधा का कार्य नहीं हुआ है, जैसे हमारे यहां का सड़क, नाली, बिजली, पानी का। इतना धूल–डस्ट छोड़ता है कि आस–पास का फसल पूरा नष्ट हो जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है। धूल कौन खायेगा? हमारे ग्राम वाले खा रहे है। इसमें आम किसान फसल नहीं उगा पा रहा है। मैं इस प्लांट विस्तार का विरोध करता हूँ ।

91. श्री एस.पी.यादव, ग्राम–कुदरी :– यहां जो सी.एस.पी.एल. प्लांट लग रहा है इसमें आमजन को क्या फायदा है? इसका क्या लाभ है? इसका विस्तार से जानकारी प्लांट प्रबंधन के द्वारा दिया जाये, जैसा कि उद्योग नीति में लिखा गया है कि 100 प्रतिशत जो रोजगार देने की सुविधा है वो आमजन को देने की रहती है, लेकिन इसमें सुविधा दे रहे है कि नहीं दे रहे है? जानकारी पूरा दिया जाये। आस–पास के ग्राम पंचायतों को इसका लाभ मिलेगा क्या या नहीं मिलेगा? इसका पूरा जानकारी दिया जाये। साथ ही साथ जिनका भी जमीन उस प्लांट में निकला है उसको मुआवजा की राशि दिया जाये और आम जन को फायदा और नुकसान का जानकारी दिया जाये। मेरा सुझाव ये है कि उद्योग नीति का 100 प्रतिशत प्लांट है लेकिन 100 प्रतिशत प्लांट चल नहीं पाता है, क्योंकि आस–पास के लोगों को जानकारी नहीं रहती है। 100 प्रतिशत में से 99 प्रतिशत आस–पास के लोगों को रोजगार दें। आस–पास की जनता जितने भी श्रमिक है जो प्लांट से जुडे काम करते है उनको काम में प्राथमिकता मिलना चाहिए। आम जनता को इसका लाभ प्रॉपर मिलना चाहिए। इसका विस्तार से संबंधित हमको जानकारी चाहिए कि आम जनता को इसके प्लांट से फायदा और हानि के बारे में, विस्तार से जानकारी प्लांट प्रबंधक से मैं मांगता हूँ।

92. **श्री रमेश कुमार, ग्राम–कुदरी, जनपद सदस्य** :– छत्तीसगढ़ स्टील जो कि मेरे क्षेत्र में आता है। जहां अभी पॉवर प्लांट कार्यरत है और मैं उस क्षेत्र के जन प्रतिनिधि होने के नाते कहना चाहूंगा कि ये प्लांट ऐसी चीज है जो लाखों जनमानस को रोजगार व सहयोग प्रदान करती है। जिसमें गरीब वर्ग के हर एक नागरिक की आशा रहती है कि प्लांट का विस्तार हो। जिससे वहां पर आजीविका का साधन उपलब्ध होता है। मैं आशा करता हूॅ कि प्लांट वाले 100 प्रतिशत लोकल लोगों को काम पर रखेंगे। मैं जनप्रतिनिधि के नाते आग्रह करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोकल लोगों को काम में रखे। रही बात प्लांटेशन के बारे में तो आपके अधिकारी लोग बतायें है कि प्लांट के अंदर में प्लांटेशन हुआ है, वृक्षारोपण हुआ है ? वृक्षारोपण एक ऐसा चीज है यदि 07 किलोमीटर के दायरे में कहीं शासकीय भूमि प्राप्त होती है तो वहां भी वृक्षारोपण होना चाहिए जो प्रदूषण की रोकथाम करती है। बहुत सारे किसान बता रहे है कि धान के फसल के कारण हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहां जाता है। धान का उत्पादन ज्यादा नहीं होगा, तो हमारा मरना तय है। मैं चाहूंगा कि धान का बचाव करना है। ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण के ऊपर में पेड़–पौधा लगाया जाये ताकि आस–पास में जितने भी प्रभाव पड़ रहे हैं वो न हो। जल आप लेते है उसमें बताया गया है कि जल का दुरूपयोग को रोककर सुचारू रूप से आप उसको सिंचाई में यूज कर सकते है। जैसे आप फलाई ऐश ब्रिक्स लगाने की अनुमति मांगे है, आपके पास अभी प्लांट नहीं है, आपने बोला जैसे ब्रिक्स का प्लांट लगेगा, उस पानी को हम यूज करेंगे, लेकिन अभी वो पानी कहां यूज हो रहा है? इसकी जानकारी सबके सामने प्रदान करें। मैं चाहूंगा कि जनप्रतिनिधि के नाते अच्छे से अच्छे जहां तक हो सके आप सहयोग करें बिजली पानी का। महुदा आपका लगा हुआ ग्राम है, आप चाहे तो गोदनामा ले के इसका विकास कर सकते है यहां न तो नाली है न सडक है पूरा कीचड़ है। आप सहयोग करके पक्का कर सकते है, आपको ही आना है। आज जो छत्तीसगढ़ स्टील पॉवर लिमिटेड के जो कर्ता–धर्ता है, मालिक है जो जहाज से रायपुर में उतरेंगे तो उनको चांपा ही आना पडेगा। चांपा से होकर इसी नगरी से गुजर कर प्लांट तक जाना होगा। प्लांट से गुजरते है तो पानी, कीचड व गिट्टी सडक पर होती है, तो मैं चाहूंगा कि उस प्लांट से आवश्यकतानुसार आस–पास को बनवाईये। उसको आप अपना समझ कर उसमें काम करीये। साथ ही साथ प्लांट को भी विस्तार कर रहे है, अच्छी बात है। विस्तार करेंगे तो रोजगार मिलेगा। रोजगार तो दे रहे हैं आप साथ–साथ आस–पास के क्षेत्र का भी विकास करे। जनप्रतिनिधि के नाते सहयोग प्रदान की अपेक्षा रखता हूॅ। प्लांट को बिल्कुल आगे बढ़ाईये इसी के साथ आपका समर्थन करता हूॅ।

93. **श्री रतिराम साहू** :– मैं प्लांट के लिए आपत्ति करत हव, मोर जमीन फंसे हे बहुत दिन से। बुला लेथे अउ कइथे कि रजिस्ट्री कर ऐखर 02 महीने के बाद नौकरी लगाहू। ऐ हा इहां हे वहां हे अइसे कहिके हमन ला घुमा देथे अउ अंदर जाये बर नई देवय। रजिस्ट्री करबे त 02 महीना के बाद बुला के लाहुं कहिथे। ऐ हाल हवय त ऐ ह हमला कहां ले नौकरी देही। फेर ए ह अभी बढ़ाये के सोचत हे, पहली के जमीन ल तो धर नई पावत हे, अभी बढ़ाही त का कर पाही। पर्यावरण के बात हे त प्रदूषण अतका फईलावत हे जतका चाही।

94. **श्री भागवत प्रसाद जायसवाल, ग्राम–महुदा** :– प्लांट से आपत्ति है। मेरा जमीन फंसा है अभी रजिस्ट्री नहीं हुआ है। मेरे लड़के को काम में लगा के निकाल दिया है।

95. **श्री जगेश्वर बरेठ, ग्राम–महुदा** :– मैं प्लांट का समर्थन करता हूॅ।

96. **श्री ईश्वर बरेठ, ग्राम–महुदा** :– सी.एस.पी.एल. का समर्थन करता हूॅ।

97. **श्री आदित्य राठौर, पंच** :– हमारे यहां जो प्लांट खुला है सी.एस.पी.एल. वो अच्छे से चल रहा है। फैक्ट्री खुलती है तो उन्नती होती है। रोड अभी तक बना नहीं है, प्लांट वाला रोड़ है बना नहीं है। डस्ट से फसल का नुकसान होता है। बाकी मैं इससे सहमत नहीं हूॅ।

98. **श्री राकेश श्रीवास ग्राम–परसवानी** :– प्लांट छोटा से बड़ा हो जाये। कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप लोग जब से आपका प्लांट खुला हुआ है आज तक आपका रोड नहीं बना हुआ है। इससे हमारे पंचायत परसवानी व सराईपाली का पूरा खेत प्रदूषित हो जाता है। इसमें पहले रोड़ को बनाईये व वृक्षारोपण करिये। प्लांट को बढ़ाने के लिए सोचिए बहुत अच्छी है।

99. **श्री भोलेसिंह मरावी ग्राम–जगदल्ला, चांपा, जिला महामंत्री छत्तीसगढ क्रांतिसेना** :– मैं ऐखर पूर्ण विरोध करथ हव। ऐखर बर करत हव कि आज आस–पास के पूरा जितना हमर खेती हे, हमर पर्यावरण हे, जन–जंगल हे सब प्रदूषित होही, ऐखर विरोध करत हन। हमर उच्चभिट्ठी व अमझर गांव के कहना हे कि एक भी स्थानीय आदमी मन से परमिशन नहीं ले हे, एको झन भी समर्थन नहीं दे हे। पूरा

विरोध म हे। यहां के जो जन प्रतिनिधि मन हे वो मन शायद आये नई हे अउ जो ऐखर समर्थन म बोलत हे त प्लांट के आदमी मन समर्थन करत हे। गांव वाला ऐखर बिल्कुल पक्ष में नई हे।

100. **श्री प्रहलाद कुमार, ग्राम–परसवानी, सरपंच** :– प्लांट बढ़ावय अच्छी बात हे। आस–पास के लोगन ल रोजगार मिलय। साथ ही अच्छे से बनना चाहिए। आस–पास क्षेत्र में वृक्ष लगना चाहिए। इससे पर्यावरण में सुधार आयेगा। मैं समर्थन में हूॅ।

101. **श्री कुलेश्वर बरेठ, ग्राम–परसवानी** :– लोक सुनवाई का समर्थन करता हूॅ।

102. **श्री बलराम गोड़** :– मैं सी.एस.पी.एल.को समर्थन करता हूॅ।

103. **श्री लक्ष्मी नारायण यादव** :– समर्थन है।

104. **श्री राम कुमार यादव, ग्राम–परसवानी** :– प्लांट का समर्थन करता हूॅ।

105. **श्री यश बंजारे, ग्राम–जगदल्ला** :– मैं सी.एस.पी.एल. प्लांट अमझर को समर्थन करता हूॅ।

106. **श्री सुभाष कुमार रात्रे, ग्राम–सराईपाली** :– प्लांट का समर्थन करता हूॅ।

107. **श्री जगमोहन टांडे, ग्राम–चांपा** :– ये प्लांट का विकास हो व आस–पास के जितने भी क्षेत्र है उसका विकास हो, और इसका मैं समर्थन करता हूॅ।

108. **श्री रूपेश कुमार अनंत, ग्राम–झीटी** :– यहां देख रहा हूॅ। महुदा, चांपा से यहां आ के समर्थन दे रहे है। मैं बिल्कुल समर्थन के पक्ष में नहीं हूॅ। सबसे पहले इतने प्लांट लगे हैं वह गांव के लिए क्या किये बता दीजिये। प्लांट का मालिक यहां पर होंगे तो भाई आप किसके लिए क्या कर रहे हो? मेरे को नहीं मालूम, गांव के लिए आप क्या किये बता दीजिए? आपने अपने गांव के विकास के लिए क्या किया है? विद्युत व्यवस्था के लिए क्या किया? गांव के लिए सड़क बनवाया है क्या? स्कूल के लिए क्या किया? एंबुलेंस के लिए क्या किया? अरे भाई गांव में इतना बडा प्लांट चला रहे हो। आपकी इतनी बडी समझदारी नहीं है क्या आप जहां प्लांट चलाते हो

वृक्षारोपण करो, गांव का विकास करो। गांव को गोद में लो, भाई आप प्लांट का विकास कर रहे हो। दो–चार का विकास कर रहे हो, दो–चार से लिखा कर समर्थन ले रहे हो। कैसे कर रहे हो समझ से परे है भईया? अंतर आत्मा कैसे गवाह देता है? तीन–तीन, चार–चार प्लांट लग गया है। गांव वही का वहीं है, लोग वहीं के वहीं है, विकास नहीं हुआ है। लोग बोलते है विकास हो गया है, ये पागल हो गये हैं। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ये प्लांट नहीं बनेगाा। जब तक गांव का विकास नहीं होगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। आप पहले ग्राम का विकास करिये। गांव के आम नागरिको का विकास करिये। यहां लेबर, ठेकेदार बने है लेबरों को बेचते हैं, वे लोग 300–350 रूपये मजदूरी अपना लेते है व 200–250 रूपये मजदूरों को मजदूरी देते है, ये लेबर–ठेकेदार बने हैं। डायरेक्ट कंपनी में जाकर बात करो आप। 250 रूपये आप के पिछे कमा रहे है, वो आपको मिलेगा। गांव के लिए कुछ करते नहीं है आप, समर्थन लेने आ गये यहां। कोई समर्थन नहीं है। बाहरी आदमी को बिल्कुल एलाउ नहीं करना चाहिए। यहां जो आश्रित गांव महुदा, अमझर, उच्चभिट्ठी वहीं के लोग समर्थन के लिए आयेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिल से दुख–दर्द बहुत होता है ये सब देखो तो, इतना बड़ा–बड़ा प्लांट लग गया। शांति जीडी, सी.एस.पी.एल. है। अपना ही पेट भरते रहोगे क्या? जनता का विकास नहीं करोगे यहां पे। यही सब दिखाने यहां बुलाया है सबको, बिल्कुल गांव का ज्यादा विकास होना चाहिए नही ंतो समर्थन नहीं मिलेगा। सबसे पहले गांव वाले का दिल जीतिये तब आपको समर्थन मिलेगा। आपको एक नहीं दस–दस प्लांट खुलवायेंगे। गांव को गोद ले के गांव का विकास करिये। गांव की जनता का विकास करिये। शिक्षा का स्तर बढ़ाईये, जाकर देखिये वहां जहां पर बड़े–बड़े प्लांट लग रहते है वहां एंबुलेंस सुविधा व स्कूलों को गोद लेते है, स्कूलों को देखोगे तो टीप टॉप रहता है जाकर देखिए। गांव का गली या शहर का पता नहीं चलता है। प्लांट चला रहे हैं, इतने बड़े–बड़े गाड़ियां चला रहे हैं, केवल नोट छापने के लिए लगाये हो क्या प्लांट को? ये बिल्कुल नहीं चलेगा मैं इसके विरोध में हूँ।

109. **श्री जय विक्रांत, ग्राम–चांपा** :– मैं इस प्लांट का समर्थन करता हूॅ कि प्लांट खुलना चाहिए और आस–पास के गांव का विकास हो और आस–पास के लोगों को रोजगार का अवसर मिले।

110. **श्री विवके शर्मा, ग्राम–चांपा** :– पत्रकारिता से जुड़ा हूॅ और मैं चाहता हूॅ प्लांट खुले, विस्तार हो, लोगों को रोजगार मिले, आपसी तालमेल बनाकर प्लांट का ग्रामवासियों

के बीच में विकास का कार्य हो और ऐसा कार्य हो जिससे ग्रामीणों को तकलीफ न हो।

111. श्री विकास तिवारी, ग्राम–चांपा :– पत्रकारिता के क्षेत्र में हूॅ। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां पर बन रहा है। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए यहां पर थोडा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बस प्लांट प्रबंधन से इतना रिक्वेस्ट है कि बढ़ाने के बाद वो पर्यावरण के क्षेत्र में भी थोडा ध्यान दे। पेड़–पौधे अधिक मात्रा में रोपित करें। मेरा समर्थन है।

112. श्री सरोज, ग्राम–उच्चभिट्ठी :– मैं छत्तीसगढ़ी में बात करूंगा। देखव हमर ग्राम–उच्चभिट्ठी के अंतर्गत् अमझर म प्लांट के विस्तार बर नोटिस आये हे, ऐखर जन सुनवाई आप मन के प्रांगण म होवत हे। ऐखर डायरेक्ट मैं ह तो समर्थन नही करथ हव, लेकिन मैं इतना जानत हव के 2003 से ए प्लांट स्थापित हे, 2003 से अभी 2025 के समय चलत हे। हमर गांव के विकास म एक रूपया के खर्चा नई होवत हे। ऐखर कारण का हे? ऐखर कारण हमन खुद हन अउ दूसर ल दोषी बताना व्यर्थ हे। ऐखर कारण हमन खुद हन जो भी पंच बनिस, सरपंच बनिस केवल अपन जेब भरना चाहिस। आप मन अपन जब तक मालिकाना अधिकार नई मांगव तब तक नई देवय। बच्चा जब रोथे तब ओखर मॉ दूध पिलाथे। ऐसे नहीं के कभू भी कोई पंच–सरपंच ओखर कने नई गईस के मांगिस नहीं। मांगीस, मिलीस लेकिन का मिलीस केवल नोट मिलीस।

113. त मैं एक चीज बोलना चाहत हव प्लांट बनावय अऊ विस्तार करय। एमा कोई दो मत के बात नई हे। स्थानीय बेरोजगार मन ल रोजगार मिलीस लेकिन काफी जगह में स्थानीय बेरोजगार मन ल रोजगार मिलीस का? नहीं मिलीस। रोजगार मिलीस काला बाहरी आदमी मन ल। अगर रोजगार मिलीस त केवल मजदूर मन ल जो भी छोटे–मोटे काम हे, मोर कहे के मतलब इतना हे के अगर गांव के विकास कर के प्लांट के विस्तार करना हे त समर्थन मिलही, ऐमा कोई दिक्कत नई हे, लेकिन पानी की सुविधा, सड़क की सुविधा, राखड के समुचित व्यवस्था, प्रदूषण के समुचित व्यवस्था, सब के व्यवस्था पहले करव, तब ओखर बाद सर्मथन दे जाही। सबसे पहली गांव के विकास करव, ओखर बाद प्लांट के विकास करव। हमन ल कल पता चलिस हे कि आज जन सुनवाई हे। ऐ ह का हे सोच के अचंभित लगिस हमन ल कल पता चलिस त के आज जन सुनवाई हे जबकि नियम ये कहिथे कि 07–15 दिन पहले जन सुनवाई के पता होना चाहि। ओखर नोटिस तामिल करा, पंचायत

ल अगर नोटिस एक सप्ताह पहले तामिल होये हे त अभी तक वो बात कइसे दबे रहीस। क्या कारण से दबे रहीस हे। ये बात ल जाने बर भी पड़ही। मैं अतके कहना चाहत हव के सबसे पहले गांव के विकास हो ओखर बाद प्लांट के विकास, ओखर बाद जन समर्थन हे।

114. **श्री गंगाराम, ग्राम–महुदा** :– मैं आठवी पास हूॅ। नौकरी के लिए आवेदन करत हव।

115. **श्री नरसिंह कुमार साहू, ग्राम–कुरदा सरपंच** :– आज हम उपस्थित हुये है जन सुनवाई को ले, प्लांट के विस्तार के लिए। मेरा मानना है आज विगत 20–22 वर्षो से चल रहा है। जिसका लाभ आस–पास के क्षेत्रवासियों को मिल रहा है। नौकरी मिल रही है और पर्यावरण को ले के प्लांट सदैव जागरूक रहा है, ग्रामीणो व ग्राम पंचायतों का सहयोग करता रहा है। प्लांट के विस्तार से यह जानने को मिला है। नई तकनीकी की मशीन लगेगी। जिससे पर्यावरण का नुकसान हो रहा है वो कम होगा। हमारे आस–पास के क्षेत्र के ग्रामवासियों को, उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी। रोजगार मिलेगा हम चाहते है प्लांट का विस्तार हो हमारा पूरी तरह से समर्थन है।

116. **श्री उमेश सिंह, ग्राम–चांपा** :– मैं प्लांट के विकास का समर्थन करता हूॅ।

117. **श्री अशोक साहू, ग्राम–कोसमंदा** :– इस प्लांट के विस्तार के लिए समर्थन करता हूॅ।

118. **श्री मनोज उपाध्याय, ग्राम–परसवानी** :– प्लांट के विस्तार के लिए हमारा पूर्ण समर्थन है।

119. **श्री जितेन्द्र कुमार सिदार, ग्राम–उच्चभिट्ठी** :– प्लांट का मैं समर्थन करता हूॅ।

120. **श्री चूरामणी राठौर, जनपद सदस्य** :– आज छत्तीसगढ़ स्टील पॉवर लिमिटेड, महुदा अमझर प्लांट के विस्तार के संबंध में जन सुनवाई होवत हे। आज ये प्लांट के विस्तार होये बर जात हे। विस्तार होना चाही, विस्तार होने से रोजगार मिलता है, लेकिन कोई भी कार्य कखरो होवय, उमन जनहित के बारे म अवश्य सोचय। जनसुनवाई के अधिकारी से मेरा एक प्रश्न है के ये प्लांट के जो विस्तार होवत हे। ओमा प्लांट के प्रभावित क्षेत्र हे, जो पंचायत हे ओखर शोषण न हो दृष्टि का

अपनाये हे। कोई प्लांट खुलथे चाहे वह नवा हो या विस्तार हो ओखर पर्यावरण मंत्रालय से एक रिपोर्ट लिये जाथे जेन ल ई.आई.ए. रिपोर्ट कहे जाथे। ई.आई.ए. रिपोर्ट के मतलब हे ये जो प्लांट खुलत हे प्लांट खुले से क्षेत्र में पर्यावरण से का प्रभाव पड़ही। एक टीम आथे ओखर बाद जांच कर के जाथे। जांच करे के बाद ओ रिपोर्ट ल जो प्लांट खुलथे वो मालिक ल देथे। जो हमर महुदा म प्लांट खुले हे वो पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत के अधीन आथे। आज जो जन सुनवाई होवत हे बहुत खेद के साथ मोला कहना पड़त हे के माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय ल कि कहीं भी नियम के पालन नहीं होये हे। आप यहां पंचायत के सरपंच बइठे होही या नागरिक बइठे होही आप पूछ सकत हव कि कहीं मुनादी नई होये हे, प्लांट खुले के विरोध नई हे। प्लांट खुलही बेरोजगार मन ला रोजगार मिलही, लेकिन नियम के पालन करना अति आवश्यक हे। आप से मोर प्रश्न ये हे जो प्लांट के विस्तार किरे जाथे आप पीठासीन अधिकारी बनके बइठे हा, पानी के का व्यवस्था हे? पानी जब दूषित होथे ओखर निकाले के का व्यवस्था है? ये जांजगीर जिला ला धान के कटोरा कहे जाथे। तमाम प्लांट खुले के बाद ऐ मेर के आप रिपोर्ट ले आवा। हमर क्षेत्र के पटवारी मन बैइठे हे। पहली उत्पादन क्षमता कतका रहिस हे? ऐ मेर के पेड़–पौधा व पशु–पक्षी के का स्थिति हे? आप मन रिपोर्ट ल देखव त पता चलही। प्लांट खुले से अउ ओखर समुचित उपाय नई करे के फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषित होवत हे। आमजन बीमारी से परेशान हे, सबसे बडे बात किसान मन बहुत ज्यादा प्रभावित होवत हे। बहुत सारी बात आज हवय ये जन सुनवाई जो होवत हे नियम ल ताक मा रख के किये जावत हे। मैं आपसे अनुरोध करत हव के ये जो जन सुनवाई होवत हे ओला आज स्थगित करके पुनः जन सुनवाई नियमानुसार करव। मैं प्लांट के विस्तार के पक्ष म हव। मैं ऐखर विरोध नहीं करत हव। प्लांट लग चुके हे सिर्फ ओखर विस्तार होना हे। विस्तार करे के बाद का हे, इमन के युवा बेरोजगार हे उमन ला नौकरी मिलही। 20–22 साल प्लांट ल खुले हो गये हे। सी.एस.आर. मद के तहत् आज तक प्लांट के तरफ से का विकास मिले हे? अउ भविष्य म का सी.एस.आर. के तहत् प्रभावित ये क्षेत्र म प्लांट कोई काम करही? प्लांट द्वारा कोई सामुदायिक विकास कार्य किये गये हे का? प्लांट जब खुलीस तब माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय ओ समय नदी से पानी नहीं मिलत रहीस हे। मोला जहां तक जानकारी हे वोला खोदाई करके पानी लिये जात रहीस हे। पूरा क्षेत्र के सम्मानीय जनता बइठे हे। ये जो तमाम समस्या हे ये समस्या के समाधान करके प्लांट के विस्तार किया जाना चाहिए। ऐमा मोर समर्थन हे। आने वाले समय म जब प्लांट के विस्तार होही त स्थानीय युवामन ला रोजगार मिलना चाहि। पर्यावरण के संरक्षण म समुचित उपाय प्लांट के तरफ से करना चाहि। सबसे बड़े बात आपसे

मोर प्रश्न हे के अगर आप जानत होईया मोला ये बता देवा के ये जन सुनवाई नियम के तहत् होत हे का? पंचायत म कोई सूचना नई दिये गये हे। कहीं कोई मुनादी नई होये है, जबकि आप नियम बनाय ह कि मुनादी होना चाहि। मोला तो यहां तक आशंका हे कि जेने पंचायत म प्लांट हवय वो पंचायत म शायद मुनादी नई करे गय हवय। आज के ये जन सुनवाई ल स्थगित करके पुनः नियम के तहत् आप जन सुनवाई करावा। हम आप मन के समर्थन म हन, प्लांट के समर्थन म हन लेकिन आज आप नियम के विरूद्व म जन सुनवाई करत हव। मैं बोलत हव के एक कहावत हे जो गरजता है वो बरसता नहीं। मैं गरजा नहीं हूँ मैं काला बदरी के समान हव जब काला बदरी बरसथे त बादल के रूप म फटथे। फटही त शायद प्लांट ल बहुत ज्यादा नुकसान हो जाही, हमन प्लांट के नुकसान नई करना चाहत हवन। मै प्लांट से अउ प्लांट के मैनेजमेंट व जिला प्रशासन से अतका निवेदन करत हव के नियम अनुसार सब काम होवय अउ नियम के अनुसार ही प्लांट के विस्तार होवय। पर्यावरण के सबसे ज्यादा अउ हमन के ख्याल करना चाहि। ओखर रक्षा, सुरक्षा हमन के जवाबदारी हे। शुद्ध हवा–पानी हम सब के अधिकार हवय। अगर ऐ प्लांट के विस्तार से पर्यावरण सुरक्षित करे के समुचित उपाय नई होवत हे त हम सब प्रभावित हो जाबो। जो हसदेव नदीं हे छत्तीसगढ के जिला–जांजगीर–चांपा के जीवन दायनी नदीं हे आज किसान के हक के ओखर पानी प्लांट ल दिये जावत हे। दूषित पानी अगर नदीं म जावत हे जेन म हमर आम जनता अपन दीनचर्या के काम करत हे त ओ ह बीमारी ले ग्रसित होही। सबसे बड़े बात ये जमीन म जीव हे ऐखर ले ज्यादा जीव जल म हवय। कोन ह कतका प्रभावित होही? का समुचित व्यवस्था हे? मैं आपके माध्यम से जानना चाहत हंव। अगर समुचित व्यवस्था प्लांट के तरफ से हो जावत हे त मैं आप मन ल आश्वस्थ करत हव के ये प्लांट के विस्तार बर भरपूर समर्थन हे। सी.एस.आर. मद से ये क्षेत्र म विकास, स्थानीय व्यक्ति ल रोजगार व पर्यावरण के सुरक्षा ये तीन बात मैं आपके सामने मांग के रूप म रखत हव। मोला पूरा विश्वास हे के जनहित म, क्षेत्र के हित म आप मन हमर मांग ल पूरा करिहा। जिला प्रशासन से मोला भरोसा हे अउ प्लांट के उपर भी भरोसा हे। यहां बहुत अच्छा व्यक्ति मन के हाथ म मैनेजमेंट व्यवस्था हे लेकिन कही न कही उमन चूक करत हे। चूक करे के कारण का हे? मोला नई समझ आवत हे। ये चूंक ला मत करा। अपन हित म प्लांट लगाय हव त हमरो हित म सोंचव अउ हमर क्षेत्र के हित म सोंचव। हमर क्षेत्र के विकास आप के साथ म निहित हे। आपके प्लांट के समस्त मैनेजमेंट से भी निवेदन हे के आप अपन विकास के हित छापा साथ म ये क्षेत्र के विकास के हित व पर्यावरण के विकास की सुरक्षा

के तमाम ध्यान रखव। अतका कह मैं आज के जन सुनवाई ल स्थगित करे के निवेदन करत हव। पुनः जन सुनवाई आप विधिवत् करव आपसे निवेदन करत हंव।

121. **श्री रितिक सिंह, ग्राम–चांपा** :– मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅ।

122. **श्री करन सिंह, ग्राम–कुरदा** :– मैं सी.एस.पी.एल. प्लांट को समर्थन करता हूॅ।

123. **श्री सनद कुमार लहरे, ग्राम–चांपा** :– मैं सी.एस.पी.एल. प्लांट को समर्थन करता हूॅ।

124. **श्री रितु राज देवांगन, ग्राम–चांपा** :– प्लांट का समर्थन करता हूॅ।

125. **श्री गोविंद कुमार राठौर, ग्राम–सिवनी, उपसरपंच** :–मैं प्लांट का समर्थन करता हूॅ।

126. **श्री लंबोदा प्रसाद सूर्यवंशी, ग्राम–चांपा** :– मैं प्लांट को पूर्ण समर्थन करता हूॅ।

127. **श्री रंजसिंह नेताम, ग्राम–महुदा** :– जहां प्लांट खड़ा हो रहा है उसके विषय में कुछ विरोध है। चार साल मैं उस प्लांट में काम किया हूॅ। चार साल प्लांट में काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ। आज मैं प्लांट को छोंड़ चुका हूॅ। मतलब इस्तीफा दे चुका हूॅ क्योंकि वहां जो पेमेंट है वर्करो का वो एकदम दैयनीय स्थिति में है और इतना शोषण हो रहा है, इतना शोषण हो रहा है कि मत पूछो। वहां जितना भी कर्मचारी काम करते है। हमेशा प्लांट को कोसते रहते है। वहां जाकर रोते ही रहते है। 19 साल हो गये प्लांट को खडे हुए, चार पंचवर्षीय गुजर चुका है और चार पंचवर्षीय में पंचायत में एक भी विकास नहीं हुआ है। अगर देखा जाये धार्मिक स्थल में 500 या 1000 रूपये चंदा के रूप में देते है। इनके द्वारा आज तक एक भी चबुतरा नहीं बनाया गया है। मेरा तो मानना है कि जन सुनवाई का हमारे गांव में सूचना नहीं मिला है। ये जो जन सुनवाई हो रहा है वो कलेक्टर आफिस में हो रहा है करके मिला है। हमारे गांव का सरपंच भी अभी नहीं पहुंचा है। हम सभी लोग देख रहे थे कि कलेक्टर आफिस जाना है, लेकिन बाद में पता चला कि इसका जन सुनवाई उच्चभिट्ठी में हो रहा है। पीठासीन अधिकारी से अनुरोध है कि हमारे बात को सिरियसली लिया जाये। बेरोजगारों के हित में, गांव के हित में, गांव में इतना दिन से प्लांट खडा है गांव को तो कम से कम गोद लिया जाये। 2005 में यह प्लांट आया तभी बोला गया था कि अमझर और महुदा को गोद लिया जायेगा,

लेकिन उस समय का जो सरपंच था जिसका निधन हो गया है। मेरा यही रिकवेस्ट है कि इसके बारे में विस्तार से सोंचा जाये और पालन किया जाये।

128. **श्री अनुभव तिवारी, ग्राम–सारागांव** :– अभी हमर राठौर जी बोलिस हे के मुनादी नई करे गये हे। हम जईसे प्रतिनिधि मन ल बताये नई गये हे कि ये मेर जन सुनवाई चलत हे, छत्तीसगढ़ स्टील पॉवर के कौन अधिकारी आये हे? कअसे आये हे? कहां से आये हे? कहां पर डी.एफ.ओ. बइठे हे? ये सब समझ म आना चाहि। जेन अधिकारी आये हे, वोला मैं पूछना चाहत हव के कोन रोड़ ले गये हे प्लांट म, का रोड़ बने हे? 20 साल म का नाली बने हे? 20 साल म का बिजली के व्यवस्था कराये हे? जो अधिकारी आये हवव वो देखे हवव कही प्लांटेशन लगे हे का? हमन तो धूल ही खाये बर आये हवन, सुरक्षा के का व्यवस्था हे? जेला आप मन देखे हवव आये हव त यहां। अगर देखे हवव तो बतावा, मैं यही बोलना चाहत हव। अगर वसूलो पर आंच आये तो टकराना जरूरी है। वसूलो पर आंच आये तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा है, तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज हमन प्लांट के विरोध नहीं करे हन, न विरोध करत हन लेकिन हमन के युवा मन कहां पर नौकरी करही। 20 साल में कोन युवा ल नौकरी दे हा। आप मन देखिहा त पूरा यू.पी. व बिहार क्षेत्र के आदमी मन ह प्लांट म नौकरी करत हे। का अही देखे बर हमन ए मेर आये हवन के हमन यू.पी., बिहारी मन ला घुसाबो अउ नौकरी देबो। पर्यावरण ल बचाना हे, रोड म कहां पर पर्यावरण सुरक्षा दिखत हे? अगल–बगल म तो कम से कम पेड़ तो लगना चाहि। प्लांटेशन आप राजनांदगांव मे कराहा अउ धूर्रा ल यहां उड़ाहा। ये सब म आप मन ल सोंचे बर पड़ही। परमीशन कोन आधार म देही? प्लांट के अधिकारी मन बइठे हवय। ऐ मेंर कखरो विरोध करे बर नई आये हवव। मैं विरोध करहू त अइसने नई हे के एक्सटेंशन नई देवव, सब के मूड बन गये हे अउ सब सेटिंग हो गये हे। एक्सटेंशन तो मिल ही जाही। मैं रोक नई पावंव अउ न मोर साथी रोक पाये। ये तो एक दिखावा होवत हे। ओखर बाद भी मैं बोलना चाहत हव के कर्मचारी–अधिकारी प्लांट के सब बैठे हवव ऐखर बाद मैं फेर आंहू ऐखर बाद आप मन वादा करिहा। जइसे नौकरी दे के वादा करे हव वही देहा अउ सुरक्षा के वादा करिहा। पी.आई.एल. म तो फर्नेस फट गये रहित हे का होइस हे? अधिकारी मन के अग्रिम जमानत ओखर घर म पहुंच गे। कुछ सुरक्षा के व्यवस्था करिहा प्लांट के इतना बड़े फर्नेस फटीस हे त जी.एम. तक के मौत हो गय का होइस? आप अधिकारी लोग आये है कलेक्टर साहब तो नई आये हे एस. डी.एम. साहब बइठे हे। अही सब ल देखे बर बार–बार आथा। देख के चल देथा, बैठ के चल देथा। दस्तखत मार देथा, पास कर देथा। कोन जानत हे का सुरक्षा

करे हा? वो आदमी मरिस हे पी.आई.एल. म। 05–05 लाख दे हवय, बस हो गये। एक जान की कीमत 05–05 लाख रूपया हे। अइसनका म प्लांट नई चलय। अगर अइसनका चलाना होही त एक्सटेंशन ऐ मन ल नई दिया जाये। प्लांट से लिखवाये ल पढ़ही कि एक्सटेंशन कोन हालत म मिलही? प्लांट में सुरक्षा का व्यवस्था होना चाहिए। अगल–बगल में पूरा प्लांटेशन होना चाहिए। प्लांट तक आने और जानें का पूरा रोड साफ व अच्छा से बनना चाहि। प्लांट को हम लोग कभी नहीं देख पायेंगे। खुलत हे कि नई खुलत हे लेकिन आज भी मैं बोलत हव के युवा मन ले प्रथम प्राथमिकता होना चाहि। अगर हव बोलत ह त मोर समर्थन हे। सुरक्षा के व्यवस्था करिहा त समर्थन हे मोर, प्लांटेशन लगाहा त समर्थन हे हमर। मैं तो देखा हूॅ पूरा एस.डी.एम. साहब आप तो आदेश देते है राखड़ पाटत हे अभी त चीखला हो गये हे, हमू मन बोजाथन अउ गाय–गरूवा मन तक बोजाथे। ये सब ला देखे पड़ही। चुंदी काहे बर झड़े हे जानथ हव, जानथा पूरा धूर्रा हमर उपर पड़त हे। ऐखर मारे सब चुंदी चल दे हे। ये सब ला ध्यान म रखे पड़ही। यहां पर आके बइठ जाना दस्तखत करना ये जरूरी नई हे। अगल–बगल के गांव म सी.एस.आर. मद से विकास करव। मैं तो देखत हव के पी.आई.एल. ल ओखर गांव कोसमंदा हवय राठौर जी कोसमंदा म एको ठीक छज्जा तक नई बने हे। सोठी म एको ठीक छज्जा तक नई बने हे। हथनेवरा में एको ठीक छज्जा तक नई बने हे। का मतलब अइसनहा प्लांट के? का धूर्रा खाये बर हवन हमन? कि प्रदूषित पानी ला पीये बर हवन? ता सब चीज लिखवा के लेवा, अगर सब चीज जो मैं बोले हवव ऐल करही त हमर समर्थन हे नहीं त हमन विरोध करबो, आगे भी करबो ये सब चीज ल लिखवा लेहा। आप मन आये ह अधिकारी मन, ये सब चीज करे बर तैयार हव त हमर समर्थन हे।

129. **श्री गमहा, ग्राम–परसवानी** :–मैं प्लांट वाले अधिकारी से सवाल पूछना चाहता हूॅ। कि हमारे अमझर प्लांट के अंदर में हमारे तीन–चार पंचायत का जमीन है। उसी में प्लांट बना हुआ है। उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दिया जाता है बाहरी आदमी को क्यों दिया जाता है। प्लांट वाले मैनेजमेंट से मैं जवाब देना चाहता हूॅ। ये राज्य शासन के द्वारा से एक भी कर्मचारी को मजदूर से लेकर उपर उनको कितना महिना में तनखा दिया जाता है। इनका रोजी कितना होता है। कृपा करके प्लांट वाले मुझे बतलाये और पूरा समाज को बतलाये। यहां पर पूरा दलाली गोरख धंधा चल रहा है। कलेक्टर महोदय जी आये है उनको पहचाना नहीं हूॅ मैं निवेदन करता हूॅ कृपा करके इसको अंकुश लगाया जाये और प्लांट वाले जो भी है। प्लांट वाले कर्मचारी है उनको बैंक में जाता है पैसा उनको देख सकते है जब से प्लांट खुला

है तब से नौकरी कर रहे है पर भी इनका वेतन दस हजार नहीं पहुंचा। राज्य शासन के हिसाब से कितना तनख्वा दिया जाता है? बताने की कृपा करके। कलेक्टर महोदय जी से मैं निवेदन करता हूॅ वो भी बताये और प्लांट वाला भी बताये।

130. **श्री मनीष कुमार, ग्राम–परसवानी** :– इस प्लांट के द्वारा आज तक एक भी अच्छा काम नहीं किया गया है व ग्राम पंचायत में जो जाने वाला रास्ता है और जहां से लोग रोजी–मजदूरी करने के लिए आते–जाते हैं वह रास्ता खराब है। सभी कर्मचारी ठेकेदार के अंदर में है, कोई भी सदस्य कंपनी में नहीं है। अभी तक हो गया उनको जो दर मेहंताना मिलना चाहिए व उचित दर मिलना चाहिए वो उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रदूषण का तो ये हाल है कि सुबह जब मैं उठकर छत में जाता हूॅ सुबह का अच्छा साफ सुथरा सांस लूंगा सोंच कर लेकिन देखने के लिए मिलता है कि प्लांट का धूल हवा के जरिये घर में आकर पूरा बैठ रहा है, घर तक आ रहा है, सड़को में आ रहा है, मेरा खेत भी है रोड़ के किनारे एक–डेढ़ एकड़, वह जमीन बंजर पड़ा है। सोच रहा था कि उसमें खेती करूं कुछ फसल उगाया जाय, लेकिन प्लांट के विस्तार होनें से फसल तो क्या उसमें कुछ भी नहीं होगा। काहे कि वह प्लांट के करीब ही है। इसलिए मैं चाहता हूॅ कि अगर प्लांट का विस्तार होता है तो उचित दर से सभी को उनकी तनख्वा दी जाये और पर्यावरण के लिए उचित समाधान निकाला जाये। पेड़–पौधे लगाया जाये। अगर पंचायत में कोई काम होता है तो वहां पर गाडी भी भेजने के लिए ये लोग राजी नहीं होते है। पंचायत वाला डेली बोलेंगा तो भी गाड़ी नहीं भेजेंगे ये लोग। रोड़ के लिए गाड़ी–जेसीबी भेजना चाहिए इन लोग को। ये लोग पानी बोरवेल से ले रहे हैं, सुनने के लिए मिला है कि जो नदी से पाईप लाईन बिछा हुआ है उसको ये लोग बंद कर दिये हैं व बोरवेल से पानी ले रहें है। उन सभी बोरवेल को बंद कर केवल पीनें हेतु बोरवेल का उपयोग किया जाये। रोड़ का हाल ये कि हम जैसे गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मैं ब्रेकर से गुजर रहा हूं। हर कदम में गड्डा, धूल, मिट्टी है। मैं उस रास्ते में कभी–कभी गुजरता हूॅ। बचपन में उसी रास्ते से आना–जाना होता था। अब सायकल–गाड़ी पंचर हो जाता है। अभी गड्ढ़ा वह विशाल गड्ढ़ा हो गया है। अभी आप लोग एक बार आये हो तो उस सड़क से भी गुजर के देख लेना जिस सड़क से सभी लोग आना–जाना करते है।

131. **श्रीमती उमा राजेन्द्र राठौर, ग्राम–सिवनी** :– आप मन प्लांट के विस्तार करे बर आए हव बहुत बढ़िया बात हे। मैं जिला पंचायत सदस्य उमा राजेन्द्र राठौर ये क्षेत्र के

सभापति हव, जब मैं चुनाव जीतेव त बहुत पीड़ा होइस हे मोला जब मैं ये क्षेत्र के रोड ल देखेंव त। मोर एरिया म पांच–छः ठोक प्लांट हे। पी.आई.एल., कृष्णा, राणीसती, शांति जी.डी., सी.एस.पी.एल. अउ एक–दो अउ हे, छोटे–मोटे अउ बहुत सारा हे। पीड़ा ए हवय के सुविधा नई दिये जात हे। मैं अपन पर्सनल लड़ाई लड़–लड़ के उच्चभिट्ठी वासी मन बर उच्चभिट्ठी के रोड़ ल बनवाय हंव। मै ह जब गर्भवती रहे हव त महुदा जावत रहे हव त खुद गिर जावत रहे हंव। मोर मन में प्रंण रहय के ये एरिया के रोड जब तक नई बनही मैं अपन प्रान से प्रान नई देवंव। सब कोई मोर सहयोग करिस सबके सहयोग से कुछ–कुछ रोड़ बढ़िया बन गे हवय। अधिकारी–कर्मचारी सब बइठे हे आम जनता भी बइठे हे आप अधिकारी मन से से पूछ सकत हव जनता अपने क्षेत्र के लिए प्रयास करत हवय। प्लांट के विस्तार करव ओखर बर हमर नराजगी नई हे लेकिन ओखर जो नियम होथे, अनुपात होथे ओमा करव। मैं छत्तीसगढ़ीया हव अपन छत्तीसगढ़ीया के पूरा समर्थन करथव सौ के सौ प्रतिशत। जितना आपमन हमर बर करिहा आस–पास के प्रभावित छत्तीसगढ़ीहा भाई हे फायदा उनमन ला ही लेना हे। जो रोड़ टूटे–फूटे हे जइसे पूर्व में जो हमर चाचा हे चूरामणी, अनुभव तिवारी महराज हे। वो तीर के रोड़ अच्छा होना चाहिए। प्लांट मन के अधिकारी–कर्मचारी से मोर विशेष निवेदन हे के आप चाहे उच्चभिट्ठी, महुदा ग्राम ल गोद लेवा। आप सभी अधिकारी–कर्मचारी ऊपर में बता दो की उच्चभिट्ठी ल लो, चाहे महुदा ल लो, उच्चभिट्ठी के छोटे–छोटे आश्रित गांव हे छोटे अमझर, बड़े अमझर, वहां रोड़ के भी सुविधा नई हे। मुक्तिधाम नई हे। मुक्तिधाम के निर्माण सरपंच अउ मैं दोनों मिल के करवाय हवन। बहुत सारे कुछ–कुछ समस्या रहिस हे इतने बडे प्लांट के किनारे में छोटे–छोटे गांव की समस्या है। स्वास्थ सुविधा ठीक से नई हे, एक ठोक चबुतरा नई हे। बहुत सारा पूर्व सरपंच अउ मोर द्वारा निर्माण कार्य कराये गय हे। इतना सारा प्लांट होते हुए हम जनप्रतिनिधि मन ल पैसा लगाये के जरूवत का हे। मोर एरिया म एक ठोक गार्डन के व्यवस्था नई हे, मोर ऐ मकसद हे प्लांट के अधिकारी मन बइठे हे, मोर क्षेत्र उच्चभिटठी, महुदा व अमझर में प्लांट अपन सी.एस.आर. मद से बढ़िया गार्डनिंग सुविधा बनावय। आसपास के प्रभावित एरिया महुदा, सिवनी आते अउ अन्य गांव आथे वहां पर भी कुछ–कुछ व्यवस्था हो। सी.एस.आर. मद के राशि कलेक्टर मन के आफिस म जमा कर देथें। कलेक्टर आने–आने जिला म भेज देथे। ये हमन के लिए बहुत पीड़ा दायक हे। पूर्व में जनप्रतिनिधि रह चुके हव। बहुत चीज ल समझथव। बोलना नहीं चाहव आप मन के भी मान–सम्मान रखत हव लेकिन आप ल भी हमन के मान–सम्मान ल रखना चाही। ये क्षेत्र के जनता सीधा–साधा अउ भोला–भाला हे। ओखर नजायज फायदा नई उठाना हे। आप प्लांट के विस्तार

करव, लेकिन मोर जो विशेष निवेदन हे, जो युवा वर्ग हे पढ़े–लिखे जेला सरकारी नौकरी नई मिलत हे कम से कम जो हमर हक अधिकार हे प्लांट म काम करे के ओ हक अधिकार दिये जाये। एक किसान भाई बोलिस हे के मोर जमीन प्लांट म हे नौकरी नई मिले हे। अइसनहा समस्या नई आना चाही। आस–पास के क्षेत्र में सी. एस.आर. मद के तहत् आप ला अच्छा से अच्छा विकास कार्य कराये बर पड़ही। हम जन प्रतिनिधि मन ल छोटे–छोटे चीज बर कलेक्टर महोदय से बहुत सारा शिकायत करे ल पड़थे। आप मन से आवेदन–निवेदन करे ला पड़थे, अतका बड़े–बड़े प्लांट के रहे ले छोटे–छोटे समस्या हे, रोड़ के, एंबुलेंस के ये सब सुविधा होना चाही। ऐसे बहुत सारा समस्या है, आप मन भी जानत हव आप सब झन से मोर विशेष निवेदन हे कि जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक आम नागरिक होने के भी नाते, ये क्षेत्र के जनता होने के नाते, आप अधिकारी मन से विशेष निवेदन हे के प्लांट मन म हमर छत्तीसगढ़िया आदमी मन ल लाया जाये। बाहर से आदमी यू.पी., बिहार, आंध्रा से भी नहीं लाना चाही। मोर क्षेत्र म और भी प्लांट है। आप सभी अधिकारी बइठे हवव वहां भी ये नियम लागू होना चाहिए। हमर छत्तीसगढ़ में खनिज सम्पदा हे, प्लांट के फायदा हमर जनता ल छत्तीसगढ़िया मन ल मिलना चाही, ये नई कि हमर छत्तीसगढ़ के चीज से बाहरी मन जिये अउ हमर छत्तीसगढ़ के आदमी मन रोजी–रोटी बर बाहर जाये, ये सब गलत बात हे। आप सब अधिकारी कर्मचारी आये हा, ये बात ल सुन लेवव, आपके अधिकारी ल बता दिहा कि प्लांट म अतका दिन से जो गलती कर डाले हे, ओला माफ होही, लेकिन माफी तभी मिलही जब आप वो गलती ला रिपीट नई करीहा। आप हमर क्षेत्र म बढ़िया विकास करो। आप अगर प्लांट के विस्तार करना चाहत हव त हम समर्थन म हन, लेकिन हमर युवा मन ल रोजगार मिलना चाही। उच्चभिट्ठी, महुदा ग्राम ल गोद के रूप में लेहे के वादा करा।

132. **श्री द्वारिका प्रसाद साहू, ग्राम–महुदा (च)** :– मोला प्रबंधन से ये निवेदन हे कि ग्राम–महुदा, उच्चभिट्ठी, अमझर व आस–पास म जेखर भी जमीन हे ओखर सब के विकास सी.एस.आर. मद होथे ओमा विकास कार्य करवावा। सांस्कृति कार्यक्रम होथे गांव–गांव म ओला प्राथमिकता पहली देवा। प्लांट के लगे म व विस्तार म हमन ल कोई प्रकार के विरोध नई हे। बरी ल बनाथन त बरी ह प्रदूषण म करिया हो जावत हे। कईसे करके हमन खाथन ओला हमी मन जानबो, पर्यावरण विभाग से मोर अही निवेदन हे के फॉरमेल्टी मत निभावव अउ फॉरमेल्टी निभा के मत चले जाहा। अही सब ल शासन–प्रशासन देखय अउ पर्यावरण ल ध्यान म रखत अपन प्लांट के विस्तार करय। मैं समर्थन देवत हव।

133. श्री राकेश शर्मा, ग्राम–चांपा :–इस प्लांट को हम 20 वर्षों से देख रहे है। यहां पर कितनें मालिक है व कितने मालिक यहां पर आ गये नई मालूम? अभी साल–डेढ़ साल, दो साल से सुनने में आ रहा था कि प्लांट बंद होने वाला था। इसमें सैकड़ो हजारों लोगों की नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। विपरीत समय के बावजूद बाहर से लोग–बाग आकर के चलो इसको चलाते है संकल्प लेते है, आगे बढ़ाने का तो काम किये। विभिन्न प्रकार के हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है। सब लोग अपनी–अपनी मांग अपने समय पर रखे सब कुछ किये, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में सरकार की नीतियां बदली, सरकार की योजना बदली, किस परिस्थिति में प्लांट कम्पलीट होता है, कैसे लोग चलाते है? कैसे लोग प्रशासनिक दफ्तरो के चक्कर काटते है? तब जाकर के एक प्लांट स्टेबलिस हो पाता है। मैं जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध करूंगा और सरकार की ओर से जो जन सुनवाई करने आये है पीठासीन अधिकारी उनसे भी अनुरोध करूंगा, मालिक जो बैठे है उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इस प्लांट को चलाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार दे व उनको देने का प्रयास किया जाये। बहुत अच्छे तरीके से पर्यावरण का ध्यान रखा जाये और लोग मांग किये है कि बिजली की समस्या, नाली की समस्या, रोड़ की समस्या है उसका समाधान किया जाये। देखिये 2014 के बाद नीतियां बदली है सी. एस.आर. मद कलेक्टर के बाद सेंट्रल में चले गया है। सेंट्रल में चले जाने के बाद कलेक्टर को भी पॉवर नहीं है कि कहां रोड़ बनाये, नाली बनाये। कहते है कि मैं नाली बनवाया, रोड़ बनवाया, जो काम है सब अपने–अपने समय पर नीति के हिसाब से होते चले जाता है और जो मांग है वो होते चले जायेगा। प्लांट को आप अच्छे से चलाये। जन सुनवाई में ज्यादा से ज्यादा अपेक्षा करूंगा कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, पर्यावरण में काम हो और मैं धन्यवाद देता हूॅ प्रशासन का, धन्यवाद देता हूॅ प्रबंधन का जो ये जन सुनवाई का आगाज किये व जो आयोजन किये है मैं इस कार्यक्रम का समर्थन करता हूॅ।

134. श्री राकेश्वर बरेठ, जनपद सदस्य जन प्रतिनिधि, ग्राम–कुरदा :– प्लांट के विस्तार बर जन सुनवाई हवय करके कल जानकारी होईस हे। माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय आप मन ल अवगत करावत हंव के मैं ह जनदर्शन म ऐही प्लांट के समस्या के नाम से आपके पास गय रहेंव। अभी तक ओखर कार्यवाही नई होय हे। प्लांट के विस्तार से कोई लोकल नागरिक ल फायदा नई हे। फायदा हे त केवल मालिक ल, नुकसान तो गांव के नागरिक मन ल हे। एक चीज ल गंभीरता पूर्वक ध्यान म रखव के जइसे भी हमन ह कुछ सहयोग बर कंपनी म जाथन त कोई सहयोग नई

करय। आज 2003 से 2025 तक जो भी समस्या हे प्लांट खुले के बाद अभी तक ये बता दे कि गांव म कुछ विकास करे होही त? सी.एस.आर. मद से करे होही या अपन व्यक्तिगत सहयोग दे होही व कोई सी.एस.आर मद के फंड के राशि दिये होही त? जनसूचना अधिकारी कार्यालय से प्रमाणित हे के ये प्लांट महुदा म आज तक कोई भी काम करे बर सी.एस.आर. मद के एक रूपया राशि सहयोग नई देय हवय क्षेत्र म। जो मैनेजमेंट करने वाला होथे ओ मालिक ह बैइठे हे बगल म। सी.एस.आर. फंड के राशि रहय या मैनेजमेंट के राशि रहय ओला आदमी मन ल पहचान कर जरूरत हवय ओ आदमी मन ल देवव। प्लांट के खुले के समर्थन हमन खुद ही करत हवन। प्लांट के जो विस्तार होही ओमा बड़ी–बड़ी तकनीक के मशीन लगही। फैक्ट्री बड़े होही त रोजगार के साधन भी बड़े होही। मैं प्लांट के समर्थन करत हव। ओखर साथ–साथ मैं मांग भी करत हव के जो चांपा से आदमी आये हवय समर्थन करे ल, मैं सी.एस.पी.एल. प्लांट के समर्थन करत हव करके ऐमा चांपा के नागरिक मन ल का समस्या होही? ओ मन ह का जानही? जो समर्थन करे बर आये हवय उमन ल प्लांट के नाम भी नई पता हे, सी.पी.एल. बोलत हे। त काये समर्थन करे बर आये हव, वो क्षेत्र म न तो प्लांट विस्तार के लोक सुनवाई के मुनादी होईस हे, न कोई जानकारी हे। बाहर के आदमी मन तक बात चल दे हे अउ यहां के जनप्रतिनिधि तक ल जानकारी नई हे। ये गांव जो स्वंय पीड़ित हवय, जो सब चीज से गुजरत हे। वो आदमी मन ला जानकारी नई हे अउ बाहर के आदमी ह सी.पी.एल. प्लांट के समर्थन करत हे। अरे सी.पी.एल. म हवय का चीज जेखर बर समर्थन करत हव? ये सब ल प्रबंधन अउ मालिक मन ह बतावा। पिछले 05 वर्ष से जनपद सदस्य रहीस हे मोर घरवाली ह अउ अभी दुबारा निर्वाचित होईस हे। बहुत अच्छा लगीस हवय के जनता ह हमर मन से खुश हवय। ये बार मोला ज्यादा बहुमत से जिताईस हे, ओखर लिये बहुत–बहुत धन्यवाद करत हव, बाकी उमन के भी उम्मीद होही मोर से हम जनप्रतिनिधि ल चुने हवन ओ जनप्रतिधि हमन के अधिकार बर लड़ही मैं ह ओही अधिकार बर लड़े बर आये हव। हमन समर्थन कब करबो जब आप मन भी हमन के समर्थन करके चलिहा तब। ये नई कि आज बईठ जाथन अऊ जन सुनवाई हो गय, फोटो खीचवा के निकल जाथन, विडियो बनवा लेथन अईसनहा टाईप के जन सुनवाई नई होना चाही। प्लांट के क्षमता यदि 12 मेगॉवाट से उपर होथे त ओला सी.एस.आर. के राशि उपलब्ध कराना होथे। मैं उद्योग विभाग भी गये रहव ओ हवर हमर क्षेत्र म शिक्षा–स्वास्थ्य म का–का काम करे हवय ऐखर मैं ह जानकारी चाहत हव? मैं ह सूचना के अधिकार लगाय रहे हव ओखर मोर कना प्रमाणित दस्तावेज हे। जन सूचना कार्यालय से जानकारी मिले हे के आज तक सी.एस.पी.एल. पॉवर प्लांट ह अभी

तक एक रूपया विकाय कार्य बर नई दे हे। पीठासीन अधिकारी महोदय अभी खेती के समय चलत हे, तना छेदक धान म लगथे त पता नई चलय। जब बाद म ओखर बाल निकलथे तब ओखर बाल सूखा जाथे। बाद म हमन ल पता चलथे के मैं ह आघु काहे ल सुधार नई करे हव करके जब समय निकल जाथे त ओला सुधार नई करे जा सकय बाद मा वो बाल बदरा हो जाथे। ओ चीज म ध्यान आर्कषण करव। कोन–कोन शासकीय अधिकारी मन ह आए हवय? माननीय तहसीलदार महोदय, माननीय एस.डी.एम. व डिप्टी कलेक्टर महोदय सब झन ल अच्छी तरह जानकारी देवत हव अउ आप मन से निवेदन भी करत हव के मैं प्लांट के समर्थन करत हव, प्लांट के विस्तार के समर्थन करत हव लेकिन प्लांट हमर गांव के, हमर क्षेत्र के विकास करय, क्षेत्रीय ग्राम पंचायत–महुदा (च) ओमा के भी कुछ हिस्सा के जमीन मे प्लांट खडे हे त ओ गांव ल गोदनामा ले ऐखर मन से कहत हव।

135. **श्री सुरेश कुमार बरेठ, ग्राम–महुदा** :– आज देखा जाये तो हमारे गांव में सुबह हांका पड़ा है जो कि जांजगीर में है, हमारे गांव के सरपंच को पता नहीं है कि यहां जन सुनवाई हो रहा है करके। अब बताईये यहां पर आकर कुछ मांग करते हमारे गांव के लिए लेकिन आज ही हमें जानकारी मिला है। हमको पता होना चाहिए कि यहां जन सुनवाई हो रहा है, क्योंकि प्लांट मेन महुदा के जमीन मे है। सरपंच हमारे लिए रोजगार मांगते, लेकिन आज उनको पता नहीं है ऐसा क्यों हुआ है? कोई बतायेगा। उनको क्यों पता नहीं है कि आज जन सुनवाई हो रहा है? आज उनसे उम्मीद रहता कि सरपंच बना है तो कुछ लोगों को काम पर लगायेगा। मैं कई बार प्लांट गया काम के लिए लेकिन मेरे को काम नहीं मिला। काम नहीं है करके भगा देते है, लेकिन बाहर से आते है उनके लिए काम रहता है। मेरे भाई के लिए बोला उनके लिए भी काम नहीं है। बाहर से आ रहा है सर, और काम करते जा रहा है। काम में लगते जा रहे है। एक सप्ताह दो सप्ताह काम में लग रहे है। हम लोग जाते हैं तो काम नहीं है। आस–पास के लोगों को काम नहीं मिलेगा और बाहर के लोगों को मिलेगा तो ऐसा प्लांट खुलने का क्या मतलब है। हम लोगों को रोजगार देने के लिए खुला है, चाहे जो भी काम मिले जैसा भी हो। हेल्फर है तो हेल्फर के हिसाब से मिलेगा। जो भी है टेक्नीशियन है उसके हिसाब से मिलेगा। यहां पर काम नहीं है, काम नहीं है बस बोल देते हैं। अपने लोग एक दूसरे को लगा लेते है। किसी और के लिए काम नहीं है ये सब ठीक नहीं होना चाहिए। आस–पास के लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको काम दिया जाये, बस यही चाहता हूँ।

136. श्री राजेन्द्र कुमार राठौर, ग्राम–सिवनी, समाजिक कार्यकर्ता :– सी.एस.पी.एल.उद्योग का विस्तार कर रहे है। उसके आस–पास के जो प्रभावित क्षेत्र है जैसे कुरदा, महुदा, उच्चभिट्ठी, अमझर, परसवानी, बालपुर व सिवनी वहां कुछ भी सी.एस.आर. मद की राशि जमा नहीं किया गया है। प्लांट प्रबंधक से निवेदन है कि वो राशि जमा करें जिससे आस–पास के क्षेत्र में कुछ विकास का कार्य हो। आप लोग सभी जानते है कि परिवर्तन संसार का नियम है, पहले प्लांट छोटा था अब उसका विस्तार हो रहा है, आज आस–पास के जो प्रभावित ग्राम पंचायत के युवक आगे पढ़–लिख के निकल चुके हैं उनको उनके योग्यता अनुसार रोजगार मिले, और पर्यावरण के नियमों का पालन हो। जब से ये नया मैनेजमेंट आया है सुचारू रूप से प्लांट चल रहा है। कई जनप्रतिनिधि को अभी पता चल रहा है कि जन सुनवाई होने वाला है, मुझे तो 20–25 दिन पहले से पता था। मैं कई लोग को बताया भी हूॅ कि आज जन सुनवाई होने वाला है कहके और मैं प्लांट विस्तार का समर्थन करता हूॅ।

137. श्री सरजू यादव, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत–अमझर :–हमारे जन प्रतिनिधि लोग सभी ने कहा कि प्लांट के विस्तार करने में आपत्ति नहीं है करके, हमें भी आपत्ति नहीं है और न आगे चल के रहेगी, लेकिन आज जो मैनेजमेंट बैठे हैं हमारे साव जी उनसे चर्चा होती है कि इस प्लांट को बड़े अच्छे से मैनेजमेंट दे। अच्छे से चला रहे है ये जो चला रहे है काफी बढ़िया है। मेरा उनसे निवेदन है कि आगे भी चलाते रहे। मैं इस ग्राम पंचायत के बारे में नहीं बोल सकता हूॅ। हमारे ग्राम पंचायत–उच्चभिट्ठी में शिक्षा सुविधा हो, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, पर्यावरण से जैसे कुछ भी समस्या हो डायरेक्ट किसी से बोलने जाये तो समाधान हो। आज हम सिर्फ यही निवेदन कर सकते हैं कि हमारे ग्राम उच्चभिट्ठी को गोद लिया जाये। जो भी है जैसा भी है। उसका समर्थन किया जायेगा। जैसा कि हमारे पूर्व में बताये हैं हमारे किसान बंधु जिनको नौकरी नहीं मिली है जो जमीन दिये हैं और नौकरी नहीं मिली है, जो पूर्व मैनेजमेंट की थोड़ी न थोड़ी कहीं चूक रही है। मैनें साहब से चर्चा किया था इस विषय में ये सब चीज होनी चाहिए सर। ये आश्वस्त कराये मेरे को होना चाहिए और होगा आगे चलके। सभी को बुला के चर्चा करें। जिस जगह जिसको नौकरी देनें होंगे नौकरी पर लगायेंगे। जिनको मुआवजा नहीं मिली है उनको मुआवजा दे। मैं सिर्फ ये चाहता हूॅ कि दो–चार चीज है हमारे गांव में हॉस्पिटल बना है चाहे तो बाउण्ड्री वॉल करा सकते है। हमारे गांव के तालाब की बहुत अच्छा–अच्छा मेड़ है उसमें वृक्षारोपण कराया जाये, क्योंकि मैं पूर्व में बहुत प्रयास करके जे.सी.बी. वगैरह ले–ले के, लोडर ले–ले के सफाई करवाया हूॅ। ये

सभी चीज में हमको सहयोग करते है। जब भी उनके पास में गये है, बिल्कुल सहयोग किये है। हम उनका बिल्कुल धन्यवाद करते है क्योंकि हम जब भी उनके पास गये है हमारा वो समर्थन किये। ग्राम पंचायत–उच्चभिट्ठी को जो पूर्व में हमको लाभ मिला है उसमें काफी कुछ उनकी देन है। हमारे क्षेत्रीय नेता माननीय डॉ0 चरणदास महंत जी जिनका विशेष योगदान हमारे उच्चभिट्ठी में रहता है। वो भी चाहते है कि सक्ती विधानसभा का मेरा पोलिंग बुथ होने के नाते इस गांव का विकास हो, जब भी चर्चा होता है जब भी समस्या आती है तो मेरे पास डायरेक्ट मिलो आप मेरे से ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि है, लेकिन कुछ–कुछ खामी रहती है। सी.एस.आर. से हमारे गांव को लाभ मिले करके सोचते हैं लकिन सरकारी अधिकारी बीच–बीच में चेंज हो जाते है जिससे हमें सी.एस.आर. से लाभ नहीं मिला है। आगे चलके हमें आश्वस्त कराये है उसका लाभ देंगे करके, और मैं समर्थन करता हॅू।

138. **श्री गनपत शर्मा, ग्राम–चांपा** :– मैं इस प्लांट का समर्थन करता हॅू। प्लांट प्रबंधन से ये निवेदन करता हॅू कि जो सुविधाएं होती है वो ग्रामवासियों को देनी चाहिए। स्वास्थ, शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी ये सभी प्रभावित ग्राम पंचायतों को मिलना चाहिए। जो नौजवान है उनको रोजगार मिलना चाहिए और मैं यह बोलना चाहता हॅू कि यहां पर उपस्थित जितने प्रभावित ग्रामवासी है उनको विशेष रूप से प्लांट का सहयोग मिलना चाहिए। मैं शासन–प्रशासन व प्लांट प्रबंधन से निवेदन करूंगा कि जितने भी प्रभावित लोग हैं उनकी मांगो पर विचार करना चाहिए। उनको रोजगार देना चाहिए। पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा आदि में सहयोग करना चाहिए। अगर प्लांट प्रबंधन इस ओर काम नहीं करता है तो आप सभी लोग स्वतंत्र है आप लोग उसको पूरा करवा सकते है।

139. **श्री मनोज कुमार बघेल, ग्राम–सराईपाली** :– मैं सी.एस.पी.एल.का समर्थन करता हॅू।

140. **श्री सौरभ भारद्वाज, एन.एस.यू.आई. ब्लॉक अध्यक्ष, ग्राम–बरपाली** :– मैं बोलना चाहता हॅू मैं ग्राम पंचायत रिवापार के आश्रित ग्राम सराईपाली से आता हॅू। सर हमारे यहां से रोड़ गया है। प्लांट हमारे गांव से थोड़ा पास में है। प्लांट का रास्ता इतना खराब रहता है। उसको बोल भी चुके है उनको बनवाने के लिए बोलते है तो हा करेंगे बोला जाता है उसको ध्यान नहीं दिया जाता है और मैं ये बता दू सर प्लांट के लिए मेरा खुद का जमीन रोड़ में सबसे पहले मैं दिया हॅू। हम लोग दिये है और हमारे ग्राम में शमशान घाट है उससे भी रोड़ गया है। उसको बाउण्ड्री कराने के लिए उनसे उस टाईम मांग हुआ था लेकिन वो मांग भी पूरा नहीं किया

गया और सर कुछ भी कार्य होता है ग्राम में प्लांट में जे.सी.बी. के लिए बोला जाता है लेकिन जेसीबी भेजने से डायरेक्ट मना कर दिया जाता है। ये जे.सी.बी. हम लोग ग्राम पंचायत में नहीं दे सकते ऐसा क्यों? सर मैं पूछना चाहता हूॅ आदमी का डेथ हो जाता है तो मिट्टी देने के लिए जे.सी.बी. देने से मना कर दिया जाता है। जे. सी.बी. ऐसे काम में नहीं जायेगा तो क्या? उस टाईम बोले थे रोड के किनारे में वृक्षारोपण किया जायेगा लेकिन अभी तक सर वो भी नहीं हुआ है। 2008 से प्लांट चालू हो गया है अभी 2025 हो गया कोई कार्य नहीं हुआ है। रोड़ इतना खराब है चल के देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे सही है, सही बोल रहा है, इतना खराब है मेरा खुद का सर जमीन गया। दोनों साईड मेरा जमीन है दोनों तरफ फसल है प्लांट के रोड़ से पूरा शमशान घाट के जाते तक हम लोगो का जमीन है। पूरा फसल बर्बाद हो जाता है गाड़ी चलता है तो, एक ही पानी टैंकर गाड़ी क्या करेगा ? हम लोग का फसल बर्बाद होता है। सब बोलते हैं उच्चभिट्ठी, परसवानी, महुदा, अमझर में पहले ये देखिये पास कौन है? सराईपाली ज्यादा पास है कि सिवनी पास है कि महुदा पास है कि उच्चभिट्ठी पास है। सबसे पहले देखियेगा तो सराईपाली पास है और अमझर में है प्लांट। उसका प्रदूषण तो सराईपाली पर पड़ रहा है। इसका कोई ध्यान नहीं है सर अपने गांव के लिए मैं भी बोलने आया हूॅ, हमारे गावं में इतना धूल डस्ट आता है प्लांट के साईड में पूरा हम लोग का जमीन है, फसल पूरा बर्बाद होता है। उसका कोई ध्यान नहीं है बोलने से कुछ नहीं करते। ऐसा तो प्लांट है सर और गांव में अभी कुछ होता है। टैंकर में पानी मंगाने के लिए बोलते है तो डायरेक्ट बोलते है कि केमिकल वाला पानी है तो कहां से भेजवाये, एक और टैंकर रखना चाहिए पानी भेजवाने के लिए। जब भी ग्राम पंचायत में कुछ होता है तो पानी मंगाया जा रहा है तो उसको देना चाहिए। हमको ऐसा डायरेक्ट मना कर दिया जाता है कि नहीं दिया जायेगा। वो केमिकल वाला पानी है और इतना प्रदूषण होता है कि सर क्या बताऊ कहीं गाड़ी चलता है तो गांव में पूरा धूल उड़ जाता है। वो प्लांट के लिए जमीन दिया गया था। 04–05 कोयला डिपो भी खुल गया है। उसका भी गाड़ी जा रहा है। वो तो प्रदूषण अलग होता था फिर कोयला डिपो का गाडी जाके और प्रदूषण ज्यादा हो रहा है। सराईपाली में ज्यादा प्रदूषण आता है सर, रोड़ सराईपाली से गया है न कि उच्चभिट्ठी के पास से गया है। बड़ा–बड़ा गाड़ी सराईपाली से गुजरता है लेकिन उसको कोई ध्यान नहीं देता, सर अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा।

141. **श्री मदन लाल केंवट, ग्राम–महुदा** :– मैं सी.एस.पी.एल. अमझर जब से प्लांट खुले हे तब से काम करत हव टैक्नीकल म आये हव। 2022 म उमर हो गये करके

रिटायर कर दिस मोला। न ग्रेजवेटी दिस, न पेंशन दिस अउ लईका ल भी नई रखीस अउ जादा का बोलव। अभी तक पेंशन देहू कहत आईस हे अभी बोलत हे के पेंशन दिये के कोई नियम नई हे। कहां जाबो गा अभी अमझर प्लांट म बाहर के आदमी ल काम म रख लेथे। अपन लईका ल रखे बर बोलेंव त नई रखीस।

142. **श्रीमती गोंदाबाई मिरी, ग्राम–उच्चभिट्ठी** :– हमारे यहां अमझर प्लांट खुला है 56 एकड़ जमीन में वह ग्राम पंचायत पर खुला है। कुछ एकड़ में वहां ठेकेदारी का काम होता है। सब हमारे ग्राम पंचायत उच्चभिट्ठी का ही जमीन है। 56 एकड़ उसी में बना है। अमझर वालो प्लांट में जा रहे है कुछ लोग ठेकेदार के अंदर में है, आस–पास के ग्राम पंचायत महुदा, परसवानी है उन लोगों को दिया जाय जिनका हक है, जिनका दावा है, उन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। मैं समूह का अध्यक्ष हूॅ, 85 लोगों से दस्तखत लिया है, न ही महिलाओं को लिया जा रहा है न पुरूषों को लिया जा रहा है। पॉवर प्लांट का अधिकारी है उसको चाहिए कि जिनका जमीन है उनको पहले ले बाद में नहीं होता तो दूसरे गांव से ले। उनको भी तो मजदूरी चाहिए।

143. **श्री सुभांशु मिश्रा, नवभारत पत्रकार** :–उच्चभिट्ठी गांव को काफी नजदीक से देखा हूॅ। कई मालिक बदले सभी लोगों ने बतलाया जहां तक मैं समझता हूॅ कोई भी उद्योग लगता है, तो उसका पक्ष, विपक्ष होता है, लोगों को तकलीफ भी होता है। जैसे नया सड़क बनता है, जब सड़क को तोडा जाता है हम सब काफी धूल से परेशान हो जाते है, वहीं सड़क जब नया बनके तैयार होता है तो सबको खुशी मिलती है। प्लांट से 300–350 लोगों के परिवार का जीवन यापन चल रहा है। जब प्लांट नहीं था तो यही सब लोग बाहर काम करने जाते थे। आज प्लांट का विस्तार होगा तो मजदूर भी ज्यादा उसमें लगेंगे। बाहर का टेक्नीशियन का टीम रहेगा गांव में अभी आस–पास में उपलब्ध नहीं है, उनको मजबूरी हो जाती है बाहर से लाना। बाकी लोगों को तो रोजगार मिलेगा। ये है कि गांव वालों का जो मांग है कि सड़क इनकी वजह से खराब हो रहा है तो सड़क इनको बनाना चाहिए। नाली का छोटा–मोटा काम है तो उसको करना चाहिए। बाकी काम के लिए पंचायत सक्षम है। आप अधिकारी है आपके माध्यम से बोलना चाहता हूॅ कि जो सी.एस.आर. का राशि है प्लांट वालो को ही खर्च करने के लिए दिया जाए कलेक्ट्रेट में जाने के बाद क्या होता है? हम सब को पता है। एक रूपया किसी भी गांव वालो को नहीं मिलता है। उसमें प्लांट की गलती नहीं उसमें प्रशासन की मंशा है। अगर प्लांट का विस्तार हो रहा है तो मेरा और मेरी टीम का समर्थन है।

144. श्री लाला साहू, ग्राम–महुदा (च) :– हमर गांव म 2005 म सी.एस.पी.एल. के स्थापना होईस हे। अभी तक ले सी.एस.पी.एल. ह सी.एस.आर. मद से एको ठीक भवन बनाये होही, नाली बनाये होही, या सी.सी. रोड़ बनाये होही त बतावा। हमन कहना चाहत हन के सी.एस.आर. मद से काम देवा सर जी, कलेक्टर साहब बोले हे। सी.एस.आर. मद से आस–पास के गांव म काम होही। आज हमारे क्षेत्रीय मजदूर मन काम करत हे। 2005 से लगे हे कोई भी मजदूर कह दे कि मोर आज बीस हजार हवय, कोई ल आठ हजार, कोई ल दस हजार, कोई ल बारह हजार मिलत हवय। आज ये प्लांट ह हमर छत्तीसगढ़ीया मजदूर के शोषण करत हे। अभी मोर जमीन ह प्लांट मेर हवय। बिक्री नई होये हे न बिक्री होवन देथे, न खेती–किसानी करे देथे। मूलभूत सुविधा रोटी, कपड़ा अउ मकान ओखर साथ ही साथ मूलभूत आवश्यकता हे सड़क, बिजली, हॉस्पिटल अगर ये सी.एस.पी.एल. ह कोई मेर सड़क बनाय होही बतावय, कहीं मेर छोटे से हास्पिटल बनाये होही ओभी बतावय, कहीं बिजली के व्यवस्था करे होही वो भी बतावय, जबकि बिजली उत्पादन होथे। हमर गांव के चाहे सी.एस.पी.एल. हो चाहे शांति जी.डी. हो कम से कम भाई वहां हमर छत्तीसगढ़ीया ल काम म रखव। आप अधिकारी मन ल भी बीच–बीच म जा के पूछना चाहिए कि आप मन के वेतन का हे? आप सब से मेरा निवेदन है कि वास्तविक म जो मजदूर हवय ओमन के सही हक मिलय। आस–पास के जितना भी गांव हे ओला सी.एस.पी.एल. रख–रखाव के जिम्मेदारी लेवय।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अतिरिक्त कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा उपस्थित अन्य जन समुदाय से परियोजना के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया, किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुए तद्उपरांत लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दो पर परियोजना से संबंधित प्रतिनिधि को जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया गया। परियोजना प्रतिनिधि के रूप में श्री नागर्जुन, पर्यावरणीय सलाहकार, मेसर्स पायोनियर एनवॉयरो लैबोरेटरीज एंड कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद, द्वारा लोक सुनवाई में उठाये गये मुख्य मुद्दो के संबंध में उपस्थित जनसमुदाय को जानकारी प्रस्तुत की गई। लोकसुनवाई को लगभग अपरान्ह 3:30 बजे अतिरिक्त कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 208 आवेदन पत्र सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 144 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 240 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 129 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर/अंगूठा लगाया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर (छ.ग.)

अतिरिक्त कलेक्टर
कार्यालय कलेक्टर,
जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)